12.5.25

पत्रावली पेश है। वकील बंदी उपस्थित। बार-बार शिकायत होने तकमीले कराये जाने के अवसर दिया जाने के पश्चात भी वकील बंदी द्वारा पालना नहीं करायी जा रही है।

अतः कड़ा बंदियों कम्पलाईंस से संबंधित किया जाता है पत्रावली नगर से कम हो कड़ तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर